समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

इस कार्यालय के ज्ञापांक 1835/श0, दिनांक 09-09-2013 के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने-अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने तथा विहित प्रपत्र में सूचना समर्पित करने हेतु दिनांक 04.10.2013 एवं 05.10.203 की तिथि निर्धारित करते हुए आम सूचना जारी की गयी थी। नैसर्गिक न्याय के तहत छूटे हुए अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने हेतु पुनः 19-10-2013 की तिथि निर्धारित की गई। उसके वावजूद **श्री प्रकाश कुमार साहा पे0 श्री विद्या प्रसाद साहा सा0 मुरलीगंज थाना मुरलीगंज जिला मधेपुरा** द्वारा शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं बायोडाटा विहित प्रपत्र में अंकित कर समर्पित नहीं किया गया है, जिस कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक 129/श0, दिनांक 12.12.2013 के द्वारा शस्त्र नियमावली-1962 के नियम-63 एवं अनुज्ञप्ति की शर्त्त -9(ए) का उल्लंघन मानते हुए इनके नाम से निर्गत **दो नाली बन्दूक अनुज्ञप्ति सं0-01/1981**(मुरलीगंज थाना) को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुज्ञप्तिधारी से स्पष्टीकरण पूछा गया था। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्पष्टीकरण आवेदन के साथ अनुज्ञप्ति पुस्त की छायाप्रति संलग्न कर समर्पित की गई है, परन्तु बायोडाटा विहित प्रपत्र में समर्पित नहीं किया गया है।

उल्लेखनीय है कि लोक सभा आम चुनाव-2014 के मद्देनजर इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 68/श0, दिनांक 03.03.2014 के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को संबंधित थाना में उपस्थित होकर अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन दिनांक 14.03.14 एवं 15.03.14 को कराने का हेतु आम सूचना जारी की गई थी। अंचल अधिकारी/ थानाध्यक्ष, मुरलीगंज के संयुक्त प्रतिवेदन पत्रांक 172-2 दिनांक 18-03-14 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि श्री प्रकाश कुमार साहा द्वारा पुनः शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया है। इस तरह अनुज्ञप्तिधारी को पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है। अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक 19.04.1988 को डकैती के दौरान दो नाली बन्दूक लूट ली गयी थी, जिसका मुरलीगंज थाना में सनहा सं0-0094/88 दर्ज है। अब तक उक्त शस्त्र की बरामदगी नहीं हो सकी है। इसलिए शस्त्र का सत्यापन नहीं कराया जा सका है। वर्तमान में भी वे शस्त्र विहीन है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसकी विधिवत सूचना कार्यालय को नहीं दी गयी है और न ही वर्ष 1988 से लेकर अब तक उक्त शस्त्र की अनुज्ञप्ति पर दूसरा शस्त्र प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास किया गया है। स्पष्ट है कि अनुज्ञप्तिधारी को शस्त्र की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है और उन्हें जानमाल का खतरा नहीं है।

अतएव शस्त्र अधिनियम-1959 की धारा-17 एवं अनुज्ञप्ति की शर्त्त-9ए का उल्लंघन मानते हुए **श्री प्रकाश कुमार साहा पे0 श्री विद्या प्रसाद साहा सा0 मुरलीगंज थाना मुरलीगंज जिला मधेपुरा** के नाम से निर्गत **दो नाली बन्दूक अनुज्ञप्ति सं0-01/1981**(मुरलीगंज थाना) को तत्कालिक प्रभाव से "रद्द" किया जाता है। धारा-21 के अन्तर्गत श्री साहा को आदेश दिया जाता है कि वे अपना मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त आदेश का तामिला थानाध्यक्ष, मुरलीगंज अपने स्तर से भी अनुज्ञप्तिधारी को करायेंगे। थानाध्यक्ष, मुरलीगंज को यह भी निदेश दिया जाता है कि डकैती में लूटी गई बन्दूक सं0-7406034 की भविष्य में बरामदगी होने पर थाना में सुरक्षित रखेंगे एवं बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति के अनुज्ञप्तिधारी अथवा अन्य सदस्यों को हस्तगत नहीं करायेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे कार्यालय में संधारित अनुज्ञप्ति पंजी में "रद्द" प्रवृष्टि करवा कर हस्ताक्षर कर देंगे। मूल अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त होने पर उसमें भी इस आशय की सूचना प्रवृष्टि कराना सुनिश्चित करेंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/-
जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 244 /विधि, मधेपुरा, दिनांक 05.05.2014

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/ जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा/ जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा/ थानाध्यक्ष, मुरलीगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : **श्री प्रकाश कुमार साहा पे0 श्री विद्या प्रसाद साहा सा0 मुरलीगंज थाना मुरलीगंज जिला मधेपुरा** को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

05/05/14

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।